

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20 रूल्स 6,7 जाब्ता दीवानी)

:- सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), मुकाम:- जैतारण

:- श्री मनोज कुमार मीणा, आर0ए0एस0

बनाम

:- प्रतिवादीगण :-

अज अदालत  
बईजलास  
:- वादी :-


रलाल पुत्र हरदीनराम जाति जाट  
गर्सी पिपलिया खुर्द तहसील जैतारण  
ला ब्यावर राजस्थान

1. तहसीलदार साहब जैतारण जिला ब्यावर राजस्थान
2. राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा बलाड़ा मु0न0 :रा0वा0स0- 6/2024

राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 रा.का.अधि., 1955

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रुबरू .....-..... व हाजरी श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, वादीगण मिनजानिब मुख्दई व तहसीलदार जैतारण, प्रतिवादी मिनजानिब मुख्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादग्रस्त आराजी राजस्व मौजा बलाड़ा पटवार हल्का बलाड़ा तहसील जैतारण के खसरा संख्या 1160 रकबा 3.4722 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम, खसरा संख्या 624 रकबा 5.5332 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल, खसरा संख्या 605 रकबा 1.5216 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल, खसरा संख्या 619 रकबा 16.6496 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल, खसरा संख्या 77 रकबा 1.5459 हैक्टेयर किस्म चाही दोयम, खसरा संख्या 78 रकबा 0.1376 हैक्टेयर किस्म गै.मु., खसरा संख्या 79 रकबा 4.7105 हैक्टेयर किस्म चाही दोयम व खसरा संख्या 60 रकबा 2.7114 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल के भू-अभिलेख में दर्ज प्रविष्टी "सुखाराम पुत्र हरदीन" के स्थान पर "शंकर लाल पुत्र हरदीन राम" दर्ज किये जाने की घोषणा की जाती है। तदनु रूप राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद हो। अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेगी।

नीज .....-.....मुबलिक.....-.....बाबत.....-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ...-.....फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....-.....को अदा करें। बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 12.02.2026 को जारी किया गया।  
मोहर

  
सहायक कलक्टर  
(फास्ट ट्रेक), जैतारण  
जिला-ब्यावर (राज0)

मुख्दई	रूपये	पैसे	मुख्दायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	3.00		स्टाम्प वकालतनामा	0.00	
स्टाम्प वकालतनामा	1.00		स्टाम्प अर्जी	0.00	
स्टाम्प वजह सबूत	0.00		महनताना वकील	0.00	
महनताना वकील	0.00		खर्चा गवाहान	0.00	
खर्चा गवाहान	0.00		फीस कमीशनर	0.00	
फीस कमीशनर	0.00		बाबत ईजराय हुक्मनामा	0.00	
बाबत ईजराय हुक्मनामा	2.00		मुत्फरिक	0.00	
मिजान:-	6.00		मिजान:-	0.00	

नोट:- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावे।

